



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032020-218695
CG-DL-E-16032020-218695

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 984]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941

No. 984]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का.आ. 1091(अ).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित खंड (1) के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति, एक नामित सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए, राज्यसभा में श्री रंजन गोगोई को नामित करते हैं।

[फा. सं. 15/2/2018-एम एंड जी]

सुधेश कुमार शाही, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O. 1091(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution of India, read with clause (3) of that article, the President is pleased to nominate Shri Ranjan Gogoi to the Council of States to fill the vacancy caused due to the retirement of one of the nominated member.

[F. No. 15/2/2018-M & G]

SUDHESH KUMAR SHAHI, Jt. Secy.